रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 234] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 29, 2014/माघ 9, 1935
No. 234] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 29, 2014/MAGHA 9, 1935

श्रम और रोजगार मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2014

का. आ. 286(अ).—जबकि केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों में बागानों के नियोक्ताओं तथा बागान स्टॉफ की श्रेणी के कर्मकारों के मध्य एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है.

और जबकि केन्द्रीय सरकार का मत था कि उपर्युक्त विवाद ऐसी प्रकृति का है कि बागानों के नियोक्ताओं तथा बागान स्टॉफ की श्रेणी के कर्मकार एक से अधिक राज्य से संबंधित हैं तथा रूचि रखते हैं, अथवा इस विवाद से प्रभावित होने की संभावना है, इसका न्याय-निर्णयन राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए।

और जबकि केन्द्रीय सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रम मंत्रालय के दिनांक 22.08.2008 की अधिसूचना संख्या एल-51014/1/2000-आईआर.(पीजी) के द्वारा एक राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण गठित किया जिसका मुख्यालय कोलकाता में रखा गया और न्यायमूर्ति श्री सी.पी. मिश्रा को इसके पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया और उक्त अधिनियम की धारा-10 की उप धारा (1क) द्वारा प्रदत्त का प्रयोग करते हुए उक्त औद्योगिक विवाद को न्यायनिर्णयन हेतु उपरोक्त राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण को सौंपा गया।

और जबकि न्यायमूर्ति श्री सी.पी. मिश्रा ने दिनांक 19.04.2013 (पूर्वाह्न) को उपरोक्त राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण का पदभार छोड़ दिया।

अत: अब एक राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण की स्थापना की जाती है जिसका मुख्यालय कोलकाता में होगा और जिसके पीठासीन अधिकारी श्री दीपक साहा रे होंगे तथा उपर्युक्त विवाद को न्याय-निर्णयन के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण को इस निर्देश के साथ संदर्भित किया जाता है कि न्यायमूर्ति श्री दीपक साहा रे इस मामले में उस स्तर से आगे कार्रवाई करेंगे जहां से न्यायमूर्ति श्री सी.पी. मिश्रा ने इसे छोड़ था तथा विधि के अनुसार इस मामले को निपटाएंगे।

[सं. एल-51014/1/2000-आईआर(पीजी)]

अनूप चन्द्र पाण्डेय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

ORDER

New Delhi, the 29th January, 2014

S.O. 286(E).— Whereas the Central Government is of the opinion that an Industrial dispute exists between the workmen in the category of plantation staff and the employers of plantations in the States of Kerala, Karnataka and Tamil Nadu.

And Whereas the Central Government was of the opinions that the above dispute was of the nature that workmen in the category of plantation staff and the employers of plantations belonged to more than one State are interested in, or affected, by such a dispute and should be adjudicated by a National Industrial Tribunal.

And Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 7B of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) constituted a National Industrial Tribunal vide Ministry of Labour's Notification No. L-51014/1/2000-IR(PG) dated 22nd August, 2008 with headquarters at Kolkata and appointed Justice Shri C.P. Mishra as its presiding Officer and in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1A) of Section 10 of the said Act, referred the said industrial dispute to the said National Tribunal for adjudication.

And Whereas Justice Shri C.P. Mishra relinquished charge of the above said National Industrial Tribunal on 19.4.2013(FN).

Now, therefore, a National Industrial Tribunal is constituted with headquarters at Kolkata with Justice Shri Dipak Saha Ray, as its Presiding Officer and the above said dispute is referred to the said National Industrial Tribunal for adjudication with the direction that Justice Shri Dipak Saha Ray shall proceed in the matter from the stage at which it was left by Justice Shri C.P. Mishra and dispose off the same according to law.

[No. L-51014/1/2000-IR(PG)]

A. C. PANDEY, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.